राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर, राजस्थान।

क्रमांकः प4(IV)/कृ.यंत्र/राखासुमि/2017–18/1871-1961 दिनांकः 03-7-2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्–
अजमेर/चित्तौडगढ/जयपुर/कोटा/टोंक/प्रतापगढ/बांसवाडा/डूंगरपुर/भीलवाडा/झालावाड/बूंदी/करौली/सवाईमाधोपुर/राजसमंद/जोधपुर/पाली।

विषयः– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गेहूं एवं दलहन) अन्तर्गत पम्पसेट सहायता कार्यक्रम वर्ष 2017–18 के भौतिक/वित्तीय लक्ष्य तथा दिशा निर्देश बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गेहूं एवं दलहन) योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में भारत सरकार के अनुमोदित कार्यक्रम में पम्पसेट सहायता के अन्तर्गत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। योजना के क्रियान्वयन हेतु कम्पोनेण्ट वार भौतिक/वित्तीय लक्ष्य तथा दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :–

1. योजना अन्तर्गत प्रति कृषक 10 एच.पी. या 7.5 किलोवाट क्षमता तक के केरोसिन के अतिरिक्त सभी प्रकार के ईंधन से चलित/विद्युत पम्पसेट पर क्रय लागत का 50% या रू. 10,000/– जो भी कम हो, का अनुदान देय होगा।
2. भारत सरकार के बी.आई.एस. विभाग से **I.S.I.** मार्क अथवा भारत सरकार के कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान अथवा केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान (सी.आई.ए.ई.) भोपाल अथवा अधिकृत स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से प्रमाणित पम्पसेट पर ही अनुदान देय होगा।
3. जिला स्तर पर उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद के द्वारा बिन्दु संख्या 2 के अनुसार पात्रता पूर्ण करने वाले पम्पसेट के निर्माताओं/विक्रेताओं का पंजीयन कर विभागीय नियमानुसार अनुदान वितरण का कार्य सम्पादन किया जायेगा।
4. उक्त कार्यक्रम उन्हीं क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जावेगा जिनका भूगर्भीय जल (गाउण्ड वाटर टेबल) डार्क अथवा ब्राउन जोन के रुप में चिन्हित नहीं किया गया है।
5. विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित फार्म पौण्ड, चाहे वो क्षेत्र डार्क जोन अथवा ब्राउन जोन में चिन्हित हों, के कृषकों को भी योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जा सकेगा।
6. पम्पसेट की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में कृषक की पम्पसेट के साथ फोटो, क्रय बिल, डार्क जोन क्षेत्र में कृषकों के द्वारा उक्त पम्पसेट के द्वारा केवल फार्म पौण्ड से ही सिंचाई करने का शपथपत्र भी लेना अनिवार्य होगा। पम्पसेट की कीमत में स्टार्टर, केबल तथा पाईप इत्यादि की कीमत को सम्मिलित नहीं माना जावे।

गत वर्षों की लम्बित देनदारियों का आवंटित लक्ष्यों से प्राथमिकता से निस्तारण किया जावे। कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं लक्ष्यों की प्राप्ति कृषि आयुक्तालय की कृषि यंत्र शाखा से वर्ष 2017–18 के लिए जारी दिशानिर्देश पत्रांक प 4(IV)/यंत्र/2017–18/499–729 दिनांक 04.05.2017 के अनुरुप करना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्नः– जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त,कृषि

क्रमांकः प4(IV)/कृ.यंत्र/राखासुमि/2017–18/1871-1961 दिनांकः 03-7-2017

प्रतिलिपी– निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. मुख्य सांख्यिकी अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक कृषि, (ज0उ0प्र0) मुख्यालय, जयपुर को यू. ओ. नोट क्रमांक 2440–46 दि. 09.05.16 के क्रम में।
3. परियोजना निदेशक, कृषि (विस्तार) सी.ए.डी. कोटा।
4. खंडीय संयुक्त निदेशक, कृषि (वि0) खण्ड–जयपुर/भरतपुर/भीलवाडा/कोटा/उदयपुर।
5. संबंधित उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद्– अजमेर/चित्तौडगढ/जयपुर/कोटा/टोंक/प्रतापगढ/बांसवाडा/डूंगरपुर/ भीलवाडा/झालावाड/बूंदी/करौली/सवाईमाधोपुर/राजसमंद/जोधपुर/पाली।
6. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
7. संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), ... ।
8. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी/प्रभारी, किसान कॉल सेन्टर, मुख्यालय, जयपुर।
9. आरक्षी पत्रावली।

(के. एन. खण्डेलवाल)
उप निदेशक, कृषि (अभि0)

Physical & Financial Targets of Pumpsets under NFSM (Wheat)
Year 2017-18

S. N.	District	Physical Target (Nos)			Total Physical	Financial Target (Rs.) Lacs			Total Financial
		GEN	SC	ST		GEN	SC	ST	
1	Jaipur	3	1	0	4	0.30	0.10	0.00	0.40
2	Tonk	5	2	1	8	0.50	0.20	0.10	0.80
3	Banswara	4	0	2	6	0.40	0.00	0.20	0.60
4	Bhilwara	5	2	0	7	0.50	0.20	0.00	0.70
5	Karauli	5	1	2	8	0.50	0.10	0.20	0.80
6	Pali	4	1	0	5	0.40	0.10	0.00	0.50
7	Jodhpur	3	1	0	4	0.30	0.10	0.00	0.40
8	S. Madhopur	5	1	2	8	0.50	0.10	0.20	0.80
	Total	**34**	**9**	**7**	**50**	**3.40**	**0.90**	**0.70**	**5.00**

Physical & Financial Targets of Pumpsets under NFSM (Pulses)
Year 2017-18

S. N.	District	Physical Target (Nos)			Total Physical	Financial Target (Rs.) Lacs			Total Financial
		GEN	SC	ST		GEN	SC	ST	
1	Ajmer	10	2	0	12	1.00	0.20	0.00	1.20
2	Chittorgarh	2	2	1	5	0.20	0.20	0.10	0.50
3	Jaipur	4	2	1	7	0.40	0.20	0.10	0.70
4	Kota	1	1	1	3	0.10	0.10	0.10	0.30
5	Tonk	14	2	1	17	1.40	0.20	0.10	1.70
6	Pratapgarh	1	1	1	3	0.10	0.10	0.10	0.30
7	Banswara	1	0	1	2	0.10	0.00	0.10	0.20
8	Bundi	2	1	1	4	0.20	0.10	0.10	0.40
9	Dungarpur	1	0	1	2	0.10	0.00	0.10	0.20
10	Jhalawar	2	1	1	4	0.20	0.10	0.10	0.40
11	Karauli	15	3	2	20	1.50	0.30	0.20	2.00
12	Rajsamand	1	1	1	3	0.10	0.10	0.10	0.30
13	S.Madhopur	14	2	2	18	1.40	0.20	0.20	1.80
	Total	**68**	**18**	**14**	**100**	**6.80**	**1.80**	**1.40**	**10.00**